

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ-दिनांक: 12-08-2023

:-कार्यालय आशु:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में तिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4881-MAA SAVITRI COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आईसीटीआई0 पीसी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसूचा-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3999/9/2022 टी0पी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थानों की पत्र के निरूद्ध मालीय व्यवस्थापन में योगित विद्यार्थी यथासंख्या संख्या 5027/2023 में मालीय व्यवस्थापन के अतिरिक्त निर्णय के अधीन संबद्धता किति की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (पुस्तिका, भवन, लेब उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसही 1982, विनियमसही-2020, सेक्टर विनियमसही-2016 तथा समय-समय पर निहित सरकारों के अनुसूचित करों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासन-देश प्रकाशों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पत्र निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु पत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पत्र को नवीनतम रूप में समूही होगी।
- ✓ संस्था में सशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अवहित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था नये छात्र-छात्रा पर निहित शासन-देश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क तथा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित प्रिडिक्टिवी0अडिक्टिवी0वसलादेशोनिर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, संप्रदा प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन

Principal
Maa Savitri College of Pharmacy
Savitri, Ghazipur

